



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

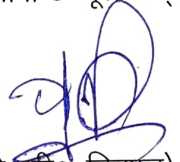
क्र0एफ.4(13)मार्गदर्शन/विधि/पंरा/2021/960

दिनांक : 30.11.2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के दौरान जारी किये जाने वाले पट्टों के संबंध में मार्गदर्शन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय ज़िला परिषदों द्वारा पट्टों के हस्तांतरण एवं नामान्तरण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा की जाकर, पट्टा नया बनेगा या उस पर ही अंकन होगा, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि हस्तांतरण एवं नामान्तरण के प्रकरणों में नया पट्टा जारी नहीं किया जाकर, अन्तरण की प्रविष्टि मूल पट्टे पर अंकित की जा कर कार्यवाही की जा सकती है।


(पी0सी0 किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।


उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)